कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदे

पत्रांक 118 /14–1, हरदोई, दिनांक, 13-07-,2017

सेवा में,

मुख्य मण्डलीय रिटेल सेल्स प्रबन्धक,
इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0,
मण्डलीय कार्यालय, सेक्टर एफ कपूरथला काम्पलेक्स,
अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– **हरदोई मे पलिया–लखनऊ मार्ग (एस0एच0–25) कि0 मी0–180–181 के मध्य दॉ पटरी पर ग्राम–खजुरमई के खसरा सं0–349 मे इण्डियन आयल कारपो0 लि द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075 हे संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्ब मे।**

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ, वन एंव वन्य जीव अनुभाग–2 की प सं0–पी–178/14–2–2016–800(1179)/2016, दिनॉक–05–07–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र लखनऊ को सम्बोधित एवं इस कार्यालय सहित आपको भी पृष्ठांकित है। सन्दर्भित पत्र द्वा विषयगत मार्ग के किनारे प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के पहुॅच मार्ग निर्माण प्रभावित वन भूमि 0.0750 हे0 भूमि पर गैरवानिकी प्रयोग एंव बिना वृक्ष पातन के अनुमति, पत्र उल्लिखित शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। निहित शर्तो पर अनुपालन आख्या ए अभिलेख/प्रमाण पत्र उच्च स्तर को उपलब्ध कराने जाने के पश्चात ही प्रश्नगत संरक्षित व भूमि पर गैर वानिकी कार्य की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दिनॉक 05–07–2017 में उल्लिखित बिन्दु संख्या–07 एंव 27 व अनुपालन में आगणित धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

बिन्दु सं0– 7–प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की अपेक्षित धनराशि- क्षेत्रफल–0.0750 हे0 x 6,26,000 (प्रति हे0 दर) = रू0–**46,950.00।**

बिन्दु सं0–27–100 पौधो का रोपण (08 से 12 फुट पौध) एंव 10 वर्षो तक रख रखाव पर व्य होने वाली आगणित धनराशि–(क्षति0 वृक्षा0 दर नोडल अधिकारी/मु0वन सं0 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दि0–09–09–2016 द्वारा निर्धारित है) = रू0–**46,500.00।**

उपरोक्त आगणित धनराशि जो Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority के पक्ष में देय हो, आनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा के खाते मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (उ0प्र0कैम्पा)लखनऊ के कार्यालय पत्रॉक–698/11–सी, दि0–29–09–2016 द्वारा निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव इस आशय से प्रेषित कि वांछित धनराशि रू0—**46,950.00** व रू0—**46,500.00** को आनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते मे जमा कर आनलाईन ई—रसीद मूल मे इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। साथ ही साथ सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु सं0—1 से लगायत 6, 8 से लगायत 26 तक एंव 28 के समस्त बिन्दुवार शर्तो के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रॉक—............/ उक्तदिनॉकित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके कार्यालय पत्रॉक—51/हरदोई/अदर्स/20659/2016, दिनॉक—07—07—2017 के कम मे उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.08471 हे0 भूमि के बदले 100 पौधो का रोपण (08 से 12 फुट पौध) एंव 07 वर्षो तक रख रखाव पर व्यय होने वाली आगणित धनराशि व क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलनः–

1	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पौधों की संख्या –	100 पौध
2	~~रोपित किये जाने वाले पौध हेतु भूमि का क्षेत्रफल–~~	~~0.150 हे0~~

वन प्रभाग का नाम– सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।
रेंज का नाम– कछौना।
स्थल का नाम उमरापुर वन ब्लॉक मे उपलब्ध रिक्त भूमि पर।
भूमि का प्रकार – ऊसर भूमि

3 वन खण्ड रोपण हेतु व्यय का अनुमानः– (625 पौध प्रति हे0)।

कम सं0	वर्ष	कार्य का विवरण	पौधों की संख्या	दर प्रति पौध (रू0 मे)	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदाकार्य,	100	101.12	10112.00
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण।	100	154.56	15456.00
3	तृतीय वर्ष	प्रथम अनुरक्षण।	100	44.71	4471.00
4	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय अनुरक्षण।	100	44.64	4464.00
5	पंचम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	38.77	3877.00
6	षष्ठम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	15.33	1533.00
7	सप्तम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	16.43	1643.00
8	अष्ठम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	13.30	1330.00
9	नवम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	13.30	1330.00
10	दशम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	13.30	1330.00
11	एकादश वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	13.30	1330.00
		कुल योग–			46874.00 अथवा **46500.00**

नोट–उपरोक्त दरें मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रॉक–526/11–सी– क्षतिपूरक वनीकरण दिनॉक–09–09–2016 द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर वर्ष 2016–17 के अनुसार है।

प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।